

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 229

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2023-02095

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "रेसीडेन्सियल प्लॉट्स सेक्टर-12", प्रमोटर-नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, द्वारा-कार्यपालन अभियंता, पता-नार्थ ब्लॉक, पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नया रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-" रेसीडेन्सियल प्लॉट्स सेक्टर-12" पता-सेक्टर-12, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
13/11/2024	<p>– प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>– प्रकरण न्याय निर्णायक अधिकारी से उनके निष्पादन प्रकरण क्रमांक-EXE-SM-EXP-2023-02095 के आदेश पत्र की छायाप्रति सहित प्राप्त, अवलोकन किया गया।</p> <p>प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित शास्ति की राशि 1,000/- को अनावेदक द्वारा दिनांक 14.10.2024 को जमा कर चालान की प्रति पेश करने के फलस्वरूप चालान की छायाप्रति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ है।</p> <p>अतएव प्रकरण में अधिरोपित शास्ति राशि 1,000/- जमा किया जा चुका है। प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त किया गया।</p> <p>प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाकर अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जावे।</p> <p>सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p>	<p>सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>